


शेहर-चन्द / अयोध-चन्द

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,  
अलवर [ राज० ]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही	
2.5.18	<p>पत्रावली चेज हुई। सविस्तर रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील वर्क सविस्तर की जावे। अपील के साथ संलग्न स्वयं प्रमाण। पत्र पर अपी० अर्थात् को स्वपत्रीय सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण अंतरिम आदेश से सम्बन्धित है, जिसका निर्णय नए न्यायालय द्वारा ही किया जाना आवश्यक है। चूंकि अपील वर्ष 2014 से लम्बित है तथा पत्रावली को बिना सुने स्वपत्रीय स्वयं प्रमाण जारी किया गया जो आदिमानुस नियम प्रयुक्त है। अतः झल ही पत्रावली Remand करते हुए नए न्यायालय उपरवर्तु अधिकारी नियंत्रण को हर दो पत्रों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश दिए जाते हैं। दोनो पत्रावली अर्थात् नए न्यायालय में उपस्थित हों। नए न्यायालय द्वारा निर्णय पारित नहीं करने की स्थिति में स्वयं ग्राह बाद स्वयं प्रमाण से नहीं रखा जावे। पत्रावली फ्रेंसल शुमार होकर उम्मीद से उम्मीद की जाकर बाद लम्बित आहता दाखिल नकल की जावे।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>	